

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

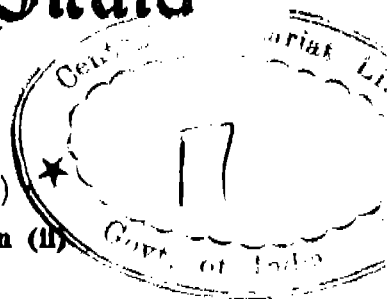
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 4, 1975/पोष 14, 1896

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 4, 1975/PAUSA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 3rd January 1975

S.O. 4(E).—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in the Food Corporation of India would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said Corporation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, any strike in connection with any industrial dispute in the said Corporation for a period of six months with effect from the 4th January, 1975.

[No. F.S. 42025/26-74-LRI]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

अभ्यन्तर मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1975

का० आ० 4 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय और सेवाये बनाये रखने के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

और यतः भारत खाद्य निगम में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाये रखने के लिये प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिये उक्त निगम में हड़तालों को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा उक्त निगम में किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल को 4 जनवरी, 1975 से छः माह के लिये प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० फा० एस० 42025/26/74-एल० आर० I]

डी० बंशोपाध्याय, संयुक्त सचिव ।